

वहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय शर्तों भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्ररोजा से पार्यद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 37 रकबा 0.24 है 0 वाके ग्राम ढीकवाड तह 0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे। क्योंकि उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संकेत में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण रजि 0 जरिये नोटिस तलब हो। प्रार्थीगण रजि 0 नोटिस पेश करे। यदि प्रार्थीगण रजि 0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहते है जो उक्त आदेश अपास्त माना जावेगा। पत्रावली बाद रजि 0 तलबी दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

23.9.21 काग पद प्रपत्र धूलवाड के लाभ पेशादुआ पत्रा में धूल वाड करके वागीना डिडी चेपुवा है। प्रार्थन चलाने का काम करे बिना नहीं है। अतः प्रपत्र में कार्रवाही इसी तल पर 219 का प्रपत्र बनादि विकसाली के है। पत्रा 0 पेशाक बुला चेपु कु नरक से कर हो - प्रार्थी संतुलन धूल वाड के है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) रज.

प्रतीक हुतार
01.10.21

कलावती
01.10.21

